न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

G.C.M.S. No : 2025/10 तारीख रजू 31.01.2025

अपील संख्या 09 / 2025

कुंजबिहारी गुर्जर पुत्र देवपाल निवासी ग्राम छाण, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर – अपीलार्थी

बनाम

––– रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

उपस्थिति –

श्री पारस मल जैन एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

दिनांक 08.04.2026

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 28 / 2024 मे पारित आदेश दिनांक 30.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम छाण के आराजी खसरा नम्बर 756 / 3 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु.नाला पर संवत 2081 मे जिन्स कब्जा मिर्च कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम छाण में ख0नं0 756 / 3 गैर मुमकिन नाला रकबा 0.04 है, पर पश्चातवर्ती कब्जा बताते हुए अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया था जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.12.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त ख0नं0 पर अपीलान्ट का कोई भी कब्जा काश्त नहीं है मौके पर जांच कर कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को कहा कि हम इस प्रकरण की जांच करवा लेंगे तथा आपको आगे की कार्यवाही के लिए बाद में सूचित कर देंगे और अपीलान्ट वहां से वापस आ गया। यह कि अपीलान्ट दिनांक 29.01.2025 को अपने उक्त प्रकरण की जानकारी करने तहसील में गया तो पता चला कि उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 30.12.24 को ही कर दिया जाना बताया जबकि दिनांक 30.12.24 को कोई निर्णय अपीलान्ट के समक्ष नहीं किया गया था दिनांक 29.1.2025 को [illegible] होने पर अपीलान्ट ने उक्त प्रकरण के निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करवा क[illegible] प्रतिलिपि दिनांक 29.1.25 को शाम को

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्राप्त हुई जिस पर ही अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व उक्त निर्णय अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट के दिनांक 30.01.25 को उल्टी दस्त व पेट दर्द हो गया था इस कारण उस दिन अपील प्रस्तुत करने नहीं आ सका और उसके बाद ठीक होने पर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गलत ढंग से विधि एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत विधिक नियमों की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास से दण्डित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया कि जो आदेश निरस्त होने योग्य है। यह कि वादग्रस्त ख0नं0 पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है और न ही था कि जिसके संबंध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन भी किया था किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा किये गये कथनों की कोई जॉच नहीं करवाई तथा बिना किसी जांच करवाये ही दिनांक 30.12.24 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं था जिससे कि यह साबित हो कि अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में बेदखली का आदेश पारित किया गया हो और उस आदेश की पालना में अपीलान्ट को मौके से बेदखल किया गया हो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना किसी साक्ष्य के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया कि जो विधि एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के समक्ष पटवारी का कोई भी बयान नहीं लिखा गया है क्योंकि यदि अपीलान्ट के समक्ष बयान लिया जाता तो अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्रदान किया जाता कि जो नहीं किया गया है। इस कारण अपीलान्ट के अहम अधिकारों का हनन हुआ है तथा अपीलान्ट अपने अधिकारों से वंचित हुआ है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट को उक्त आराजी पर किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं मिलने पर उक्त नोटिस मकान पर चस्पा कर तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमी [illegible] अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उ[illegible] साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अतिकमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिकमण साबित नहीं होता हो। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि **अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के परिवार का कोई भी सदस्य भविष्य में कब्जा करेगा**, इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिकमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिकमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested